न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामां जिला डीग
व इजलाश श्री दिनेश शर्मा आर0ए0एस उपखण्ड अधिकारी कामां

मुकदमा नं0 07/22

1—लालाराम पुत्र कल्लू कौम वैश्य साकिन ग्राम सबलाना जिला डीग

वादीगण

बनाम

1—फातमा पत्नि अकबर हसन जाति मेव निवासी सबलाना तहसीलदार कामां (डीग)

2—सत्यपाल पुत्र मंगलदास जाति राजपूत निवासी सबलाना तहसीलदार कामां

3—राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कामां

प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

1—श्री रूपसिंह यादव

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128, 136 भू0राज0अधि0

निर्णय

दिनांक :— 18.09.2023

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0राज0अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि साविक खसरा नम्बर 1063/0.15, 1063/1/0.15 हैक्टर वाके ग्राम सबलाना तहसील कामां जिसके बन्दोबस्त विभाग द्वारा खसरा नम्बर 2415/0.15, 2416/0.16 कायम किये है । साबिक खसरा नम्बर 1063/0.15 प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी भूमि है । जिसका बन्दोबस्त विभाग द्वारा नया खसरा नम्बर 2415/0.15 कायम किया है । जो दक्षिण दिशा में स्थित है । जिस पर प्रार्थी वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रहकर निरन्तर रूप से काश्त करता चला आ रहा है । अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 का साविक खसरा नम्बर 1063/1/0.15 है जिसका बन्दोबस्त विभाग द्वारा नया खसरा नम्बर 2416/0.16 कायम किया है जो प्रार्थी की खातेदार भूमि के खसरा नम्बर 2415/0.15 के उत्तर दिशा में स्थित है । बन्दोबस्त विभाग द्वारा पुराने साविक खसरा नम्बरान 1063/0.15, 1063/1/0.15 के नये खसरा नम्बर कायम करते समय तैयार किये गये नक्शे में बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियों द्वारा लापरवाही पूर्ण तरीके से अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के नये खसरा नम्बर 2416/0.16 को नये नक्शे में खिलाफ कानून व मौका कब्जा के प्रार्थी के खसरा नम्बर 2415/0.15 में पश्चिम दिशा में गलत दर्ज कर दिया है । जबकि अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 का उक्त खसरा नम्बर 2416/0.16 प्रार्थी के खसरा नम्बर 2415 के उत्तर दिशा में स्थित है तथा मौके पर भी अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 का कब्जा भी प्रार्थी के खसरा नम्बर के उत्तर में है । उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी नकल दस्तावेज लेने पर दिनांक 7.2.2022 को हुई इससे पूर्व कोई जानकारी नही थी प्रार्थी के खसरा नम्बर 2415/0.15 में अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 2416/0.16 नये नक्शे में गलत दर्ज होने से प्रार्थी को सख्त हकतलफी हो रही है विधि वजह प्रार्थी बन्दोबस्त विभाग द्वारा गलत तैयार किये गये नये नक्शे में अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के खसरा नम्बर 2416 को मौका व कब्जानुसार दुरूस्त करा पाने का अधिकारी है । अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर बन्दोबस्त विभाग द्वारा तैयार किये गये नक्शे को संशोधित किया जावे कि अप्रार्थी गण के खसरा नम्बर 2416 को प्रार्थी के खसरा नम्बर 2415 में से संशोधित कर हाल मौका कब्जा अनुसार 2416 को प्रार्थी के खसरा नम्बर 2415 के उत्तर में स्थापित किया जावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी नं0 1 व 2 ने जबाव पेश नहीं किया । जिनका जबाव बन्द किया जाता है । अप्रार्थी तहसीलदार कामां ने जबाव पेश किया कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सं0 2074—77 के अनुसार आ0ख0नं0 2415/0.15 पर लालाराम पुत्र नन्नू जाति वैश्य साकिन सबलाना दर्ज रिकार्ड है तथा आराजी खसरा नम्बर 2416/0.16 पर सत्यपाल पुत्र मंगलदास जाति राजपूत व फातमा पत्नि अकबरहुसैन जाति मेव निवासी सबलाना दर्ज रिकार्ड है । नवीन नक्शा के अनुसार आ0ख0नं0 2416/0.16 रास्ता से सटा हुआ है यानि कि आ0ख0नं0 2415 के पश्चिम दिशा में स्थित है । तथा आराजी खसरा नम्बर 2415 जो आ0ख0नं0 2416 के पूर्व दिशा में स्थित है । मौके के अनुसार खसरा नम्बर 2416/0.16 पर सत्यपाल पुत्र मंगलदास जाति राजपूत व फातमा पत्नि अकबर हसन जाति मेव तथा रास्ता के सहारे खसरा नम्बर 2415/0.15 पर लालाराम पुत्र नन्नू का कब्जा है । जिसे मौके के अनुसार शुद्ध किया जाना उचित है ।

प्रार्थी के अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी प्रार्थना पत्र बिद ड्रा दिनांक 9.2.2023 एवं नकल आर्डरशीट दिनांक 11.2.2023 जमाबन्दी सं0 2074–77 नकल साबिक खसरा नम्बर 2069–2072 नक्शा ट्रेस बन्दोबस्त, नकल मिलान क्षेत्रफल सलग्न किया है ।

प्रार्थी अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गयी । बहस में लिखित प्रार्थना पत्र में तथ्यों को दोहराया । प्रार्थी के बन्दोबस्त विभाग द्वारा गलत तैयार किये गये नये नक्शे में अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के खसरा नम्बर 2416 को मौका व कब्जानुसार दुरूस्त किया जावे । अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर बन्दोबस्त विभाग द्वारा तैयार किये गये नक्शे को संशोधित किया जावे कि अप्रार्थी गण के खसरा नम्बर 2416 को प्रार्थी के खसरा नम्बर 2415 में से संशोधित कर हाल मौका कब्जा अनुसार 2416 को प्रार्थी के खसरा नम्बर 2415 के उत्तर में स्थापित किया जावे ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उपलब्ध दस्तावेज व तहसीलदार कामां के जबाव का भी अवलोकन किया । राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सं0 2074–77 के अनुसार आ0ख0नं0 2415/0.15 पर लालाराम पुत्र नन्नू जाति वैश्य साकिन सबलाना दर्ज रिकार्ड है तथा आराजी खसरा नम्बर 2416/0.16 पर सत्यपाल पुत्र मंगलदास जाति राजपूत व फातमा पत्नि अकबरहुसैन जाति मेव निवासी सबलाना दर्ज रिकार्ड है । नवीन नक्शा के अनुसार आ0ख0नं0 2416/0.16 रास्ता से सटा हुआ है यानि कि आ0ख0नं0 2415 के पश्चिम दिशा में स्थित है । तथा आराजी खसरा नम्बर 2415 जो आ0ख0नं0 2416 के पूर्व दिशा में स्थित है । मौके के अनुसार खसरा नम्बर 2416/0.16 पर सत्यपाल पुत्र मंगलदास जाति राजपूत व फातमा पत्नि अकबर हसन जाति मेव तथा रास्ता के सहारे खसरा नम्बर 2415/0.15 पर लालाराम पुत्र नन्नू का कब्जा है । जिसे मौके के अनुसार शुद्ध किया जाना उचित है ।

अतः आदेश दिया जाता है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 136 भू0राजस्व अधिनियम को स्वीकार किया जाता है । मौके के अनुसार खसरा नम्बर 2416/0.16 पर सत्यपाल पुत्र मंगलदास जाति राजपूत व फातमा पत्नि अकबर हसन जाति मेव तथा रास्ता के सहारे खसरा नम्बर 2415/0.15 पर लालाराम पुत्र नन्नू का कब्जा है । जिसे मौके के अनुसार शुद्ध किया जाता है । प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील तामील दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनाक 18.9.2023 को खुले न्यायालय पढकर सुनाया गया ।

(दिनेश शर्मा)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी कामां (डीग)

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज०